

लिखमा - जुगल किशोर 140/2012

दिनांक	आज्ञा पत्र
27-8-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंटस उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... (लिखमा) महोदय पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 7-11-18 को पेश हो।
7-11-19	पत्रावली प्रस्तुत अभिलेख पत्र नै आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 9-1-20
9-1-20	<p>पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तरतीब तकनील दाखिल वफत हो।</p> <p>श्री-प्रबल अधिकारी एवं पक्ष पत्रावली अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प कुन्दुर्न)</p>

